झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

झारखण्ड पदो एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 एवं अन्य संगत संकल्पों के द्वारा झारखण्ड राज्य से भारत के संविधान की धारा 16(4) के अन्तर्गत अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए नियुक्ति में तथा 16(4ए) के अन्तर्गत अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था निम्नरूप में की गई है :–

| | नियुक्ति में | | | प्रोन्नति में |
|---|---|---|---|---|
| (1) | अनुसूचित जनजाति | – | 26 प्रतिशत | अनुसूचित जनजाति– 26 प्रतिशत |
| (2) | अनुसूचित जाति | | 10 प्रतिशत | अनुसूचित जाति – 10 प्रतिशत |
| (3) | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची– I) | – | 08 प्रतिशत | 36 प्रतिशत |
| (4) | पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) | – | 06 प्रतिशत | |
| | | | 50 प्रतिशत | |

संविधान की धारा 16(4बी) के अनुसार किसी वर्ष विशेष में की जाने वाली नियुक्ति/प्रोन्नति में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षित पद को एक अलग वर्ष की रिक्ति मानकर उसे विशेष भर्त्ती प्रक्रिया द्वारा भरा जाना है। इससे बैकलॉग रिक्ति की अवधारणा स्पष्ट होती है।

राज्य सरकार के अधीन बैकलॉग रिक्ति को परिगणित कर उसे भरने के संबंध में एक स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने का मामला विचाराधीन था।

सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि किसी वर्ष विशेष में भरे जाने वाले रिक्त पद में से अनारक्षित कोटि को अनुमान्य पद के बराबर आरक्षित पद उक्त भर्त्ती वर्ष के नियमित रिक्ति के रूप में भरी जायेगी तथा आरक्षित कोटि के अवशिष्ट पद बैकलॉग रिक्ति के रूप में विशेष भर्त्ती प्रक्रिया द्वारा भरे जायेंगे।

दृष्टांत के रूप में अनुसूची–1 संलग्न है।

आदेश — आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि सभी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश/सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह० 1.2.2012

(फिदेलिस टोप्पो)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7/वि0स0–07–10/2010 का०– 918 /राँची, दिनांक 01/02/2012

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को राजपत्र के असाधारण अंक में सूचनार्थ एवं इसकी 500 प्रतियां इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

ह० 1.2.2012

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7/वि0स0–07–10/2010 का०– 918 /राँची, दिनांक 01/02/2012

प्रतिलिपि–सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/राज्यपाल के सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सदस्य, राजस्व पर्षद्, झारखण्ड, रांची/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा/सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग/सचिव, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली/सभी राज्यों के मुख्य सचिव/सभी केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव/मुख्य आयकर आयुक्त/केन्द्रीय उत्पाद, झारखण्ड, रांची/सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के रांची स्थित कार्यालय के महाप्रबंधक/उप प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, रांची/आकाशवाणी/दूरदर्शन, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 1.2.2012

सरकार के संयुक्त सचिव।

अनुसूची 1

दृष्टांत

मान लिया जाय कि किसी कोटि में स्वीकृत पद 100 है और 64 पद पूर्व से भरे हुए है, तो नियमित एवं बैकलॉग रिक्ति का परिकलन (Calculation) निम्न प्रकार होगा :–

| | अनारक्षित | अ0ज0जा0 | अ0जा0 | अ0पि0वर्ग | पिछड़ा वर्ग | कुल पद |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आरक्षण कोटिवार अनुमान्यता | 50 | 26 | 10 | 8 | 6 | 100 |
| यदि भरे हुए पद 64 हो और उनकी आरक्षण कोटिवार वर्गीकरण हो | 40 | 12 | 6 | 5 | 1 | 64 |
| रिक्त पदों का वर्गीकरण | 10 | 14 | 4 | 3 | 5 | 36 |

इन्द्रा साहनी के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में कुल रिक्त पद में से अनारक्षित 10 पद के बराबर आरक्षित वर्ग से 10 पदों पर **नियमित** नियुक्ति हो सकती है। तब रिक्त पद में 36 – 20 = 16 पद **बैकलॉग** रिक्त पद कहलाएंगे। नियमित नियुक्ति के लिए रोस्टर में कर्णांकित पद के अनुसार आरक्षण देय होगा।

बैकलॉग के रिक्त पद 16 में विभिन्न कोटि के लिए पद की उपलब्धता की गणना :–

| | आरक्षण कोटिवार रिक्त पद | रोस्टर के अनुसार नियमित पद | बैकलॉग |
|---|---|---|---|
| अ0ज0जा0 | 14 | 5 | 14–5 = 9 |
| अ0जा0 | 4 | 2 | 4–2 = 2 |
| अ0पि0वर्ग | 3 | 2 | 3–2 = 1 |
| पिछड़ा वर्ग | 5 | 1 | 5–1 = 4 |
| | 26 | 10 | 26–10 = 16 पद |

इसप्रकार रिक्त 36 पद में से 20 (अनारक्षित से 10 तथा आरक्षित से 10) पद नियमित नियुक्ति से तथा 16 पद बैकलॉग रिक्ति के रूप में पहचाने जायेंगे। इन 16 पदों में से बैकलॉग के रूप में अ0ज0जा0 के 09, अ0जा0 के 02, अ0पि0व0 के 01 तथा पिछड़ा वर्ग के 04 पद अनुमान्य होंगे।